पत्र सख्या-विधि-4(1)ई- पंजीयन (2015-16)

1625 / 1516044 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(विधि अनुभाग)
लखनऊ :दिनॉक: 26 अक्टूबर ,2015

समस्त जोनल एड़ीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

वैट कर प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि टैक्सबेस का विस्तार हो । आप अवगत हैं कि शासन द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1,25,000 व्यापारियों को पंजीकृत कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु विस्तृत दिशा निर्देश परिपत्र संख्या-विधि-4-3(2)/2015-16/1376/ वाणिज्य कर दिनॉक 23-9-2015 कम्प्यूटर परिपत्र सं0-1516041 दिनॉक 29-09-2015 द्वारा जारी किए गये है । आप अवगत है कि विभाग में दिनॉक 02-10-2013 से ई-पंजीयन की व्यवस्था अनिवार्य रुप से लागू की गयी है तथा इस सम्बंध में जारी परिपत्र संख्या-विधि-4(1)-पंजीयन/2013-14/936/1314048 / वाणिज्य कर दिनॉक 20-09-2013 द्वारा जारी दिशा निर्देशों में यह व्यवस्था है कि ऑन- लाइन पंजीयन हेतु आवेदन करने वाले व्यापारियों को रु0 25,000/- की जमानत से सम्बंधित जमानतनामा भी अपने प्रार्थना- पत्र के साथ स्कैन करके संलग्नक के रुप में देना होगा ।

विभिन्न व्यापारिक संगठनों एवं कतिपय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिकांश छोटे व्यापारी जो केवल प्रान्तीय खरीद-बिक्री का रिटेल व्यापार करते है, पंजीयन लेने के इच्छुक हैं किन्तु उपरोक्तानुसार जमानत उपलब्ध न हो पाने के कारण उन्हें पंजीयन लेने में कठिनाई हो रही है। उक्त समस्या पर सम्यक् विचारोपरान्त इस सम्बंध में निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं :-

संवेदनशील वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की प्रान्त के अन्दर पंजीकृत व्यापारियों से खरीद कर केवल प्रान्त में बिक्री करने वाले ऐसे व्यापारी जिनका सम्भावित वार्षिक विक्रय धन रुपया पचास लाख से कम हो, को पंजीयन आवेदन के साथ जमानत प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाती है । ऐसे व्यापारियों द्वारा इस आशय का एक शपथ-पत्र " कि उनके द्वारा अमुक .....(वस्तु का नाम) वस्तुओं का केवल प्रान्त के अन्दर पंजीकृत व्यापरियों से क्रय करके प्रान्त में ही रिटेल बिक्री का व्यापार किया जायेगा तथा संगत वित्तीय वर्ष ..... में वार्षिक टर्नोवर रु0 पचास लाख से कम रहनें की सम्भावना है " बनवाकर उसकी स्कैन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की जायेगी तथा शपथ -पत्र मूल रुप में सर्वेक्षण के समय सर्वेक्षण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा ।

पंजीयन अधिकारी / खण्डाधिकारी द्वारा यदि पंजीयन जांच के समय अथवा बाद में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जमानत की आवश्यकता समझी जायेगी तो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा 19के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार जमानत की मॉग की जायेगी ।ऐसे व्यापारियों द्वारा यदि भविष्य में केन्द्रीय पंजीयन हेतु आवेदन किया जाता है तो उन्हें नियमानुसार जमानत प्रस्तुत करनी होगी ।

पंजीयन के सम्बंध में पूर्व में जारी दिशा निर्देश उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

26/10/15

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।